न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 35 / 2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ढगलाराम पुत्र नेनाराम 2. मदनलाल पुत्र सुजाराम 3. केवलचंद पुत्र सुजाराम जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत 2. तहसीलदार भूमि धारक सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री सोहनलाल गौराणा, श्री टोनू चौहान अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।

2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 5/12/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में ख.नं. 1999 रकबा 0.15 है0, ख.नं. 4968 रकबा 0.14 है0, ख.नं. 5339 रकबा 0.0600 है0, ख.नं. 5341 रकबा 0.9000 है0, ख.नं. 5371 रकबा 0.1300 है0, ख.नं. 5374 रकबा 0.0800 है0, ख.नं. 2074 रकबा 0.1100 है0, ख. नं. 2075 रकबा 0.1100 है0, ख.नं. 2076 रकबा 0.4300 है0, ख.नं0 5388 रकबा 0.0800 है0, ख.नं. 5396 रकबा 0.1100 है0, ख.नं. 5400 रकबा 0.0600 है0, ख.नं. 5420 रकबा 0.0700 है0, ख.नं. 5421 रकबा 0.0700 है0, ख.नं. 5430 रकबा 0.1300 है0, ख.नं. 5431 रकबा 0. 1200 है0, ख.नं. 5342 रकबा 0.1000 है0, ख.नं. 5346 रकबा 0.1700 है0, ख.नं. 3962 रकबा 0.0300 है0, ख.नं. 3963 रकबा 0.0300 है0, ख0नं0 3964 रकबा 0.0300 है0 की कृषि भूमि धनाराम, ढगलाराम, सुजाराम पिसरान नेनाराम व नेना पुत्र उम्मेद, अन्ना, नारायण पिसरान दमाराम के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। धनाराम पुत्र नेनाराम प्रति सं0 1 के पिता के हक हिस्से में ख0नं0 4968, 5371, 5374, 5396, 4962, 2076, 2079 की भूमि तथा वादी सं0 1 ढगलाराम के हिस्से में ख.नं. 5388, 5400, 5341, 2075, 2076, 5430, 2081, 2046 की भूमि तथा वादी सं0 2 व 3 के पिता सूजाराम के हिस्से में ख.नं. 5339, 2074, 2076, 5342, 2080, 2045 माफिक पारिवारिक समझौता व बंटवाड़ा के अनुसार आई। इसी प्रकार ख.नं. 5420, 5421, 5430, 5431, 5342, 5346 की भूमि नेना पुत्र उम्मेद, अन्ना, नारायण पिसरान दमा के बंटवाड़ा में आयी तथा इसी अनुसार नामा0 सं0 293 अपने अपने हक हिस्से अनुसार भरा जाकर सुपुर्द किया गया। ख.नं. 2045 वादी सं0 2 व 3 तथा ख.नं. 2046 वादी सं0 1 के हक हिस्से में आयी। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने सेवन से ख.नं. 1998 के साथ ही ख.नं. 2045, 2046 का नाम प्रतिवादी सं0 1 लक्ष्मण दत्तक पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज कर दिया। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादी को निवेदन करने भी उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने से यह वाद विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज0)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित ख.नं. 2046 रकबा 0.25 है0 वादी सं0 1 ढगलाराम व ख0नं0 2045 रकबा 0.19 है0 वादी सं0 2 व 3 के नाम खातेदारी घोषित किये जाने व इस भूमि के वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी को दखलांदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 25.04.2022 को प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में किसी प्रकार की प्रतिकारात्मक टिप्पणी नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की जाकर पत्रावली शहादत वादी हेतु पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी मदनलाल के बयान कलमबद्ध करवाये गए एवं दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जिसमें जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श–1 एवं नामा0 सं0 293 दिनांक 06.02.83 प्रदर्श–2 हैं। पुनः परीक्षण व जिरह प्रतिवादी शून्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई, जो सामिल पत्रावली है। लिखित बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए माफिक नामा0 सं0 293 में इन्द्राज अनुसार सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित ख.नं. 2045 वादी सं0 02 मदनलाल व 03 केवलचंद तथा ख.नं. 2046 वादी सं0 1 ढगलाराम के नाम खातेदारी दर्ज करवाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा राज्य हित प्रभावी नहीं होने से माफिक ईश्तदुआ अनुसार वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं गवाह के बयानात का अध्ययन कर बहस पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड नामा0 सं0 293 जो दिनांक 06.02.83 (प्रदर्श–2) को स्वीकृत किया गया। इस नामा0 में वादस्थ भूमि के ख.नं. 2046 रकबा 0.25 है0 को अन्य खसराजात की भूमि के साथ ढगलाराम पुत्र नेनाराम कौम माली के नाम भरा गया। इसी प्रकार ख.नं. 2045 रकबा 0.19 है0 की कृषि भूमि को भी अन्य खसराजात की भूमि के साथ सुजाराम पुत्र नेनाराम कौम माली के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामा0 के पश्चात् ख.नं. 2045 व 2046 को इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में दर्ज किया जाना चाहिये था, किन्तु जमाबंदी सम्वत् 2074–77 प्रदर्श–1 से स्पष्ट है कि खाता सं0 809 में लक्ष्मण दत्तक पुत्र धन्नाराम को भी वादीगण के साथ उक्त खाता में नाम दर्ज कर दिया, जबकि लक्ष्मण दत्तक पुत्र धन्नाराम की भूमि ख.नं. 1998 के खातेदार मात्र होने की संपुष्टि होने से माफिक नामा0 सं0 293 दिनांक 06.02.83 में इन्द्राज अनुसार ख.नं. 2046 रकबा 0.25 है0 का खातेदार वादी ढगलाराम को व ख.नं. 2045 रकबा 0.19 है0 के खातेदार मदनलाल, केवलचंद पिता सुजाराम को घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः आंशिक डिक्री वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खाता सं0 809 में से प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर ख.नं. 2046 रकबा 0.25 है0 वादी सं0 1 ढगलाराम व ख0नं0 2045 रकबा 0.19 है0 वादी सं0 2 व 3 को खातेदार घोषित किया जाता हैं। ख.नं. 1998 के खातेदार लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम कौम माली का नाम पूर्ववती यथावत रहेगा। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलांदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार, सोजत को निर्णय डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 05/12/24 को सरे ईजलास में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तादाई

(आ०20 नियम 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. ढगलाराम पुत्र नेनाराम
2. मदनलाल पुत्र सुजाराम
3. केवलचंद पुत्र सुजाराम जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत
2. तहसीलदार भूमि धारक सोजत।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मु0नं0 :— 35/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री सोहनलाल गौराणा व तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खाता सं0 809 में से प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर ख. नं. 2046 रकबा 0.25 है0 वादी सं0 1 ढगलाराम व ख0नं0 2045 रकबा 0.19 है0 वादी सं0 2 व 3 को खातेदार घोषित किया जाता हैं। ख.नं. 1998 के खातेदार लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम कौम माली का नाम पूर्ववती यथावत रहेगा। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलांदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सीजान — मुबलिग — बाबत ——

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.11.2021 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			